The Infinite
An International Peer Reviewed / Refereed Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 2 | Issue 3 | March 2025
ISSN: 3048-9539 (Online)
Website: www.theinfinite.in

डिजिटल युग में ई–गवर्नेंस और सुशासनः अवसर और चुनौतियाँ

डॉ० अजय कुमार सिंह

एसोसिएट प्रोफेसर, विधि विभाग

का०सु० साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या

विनोद कुमार

शोध छात्र, विधि विभाग

का०सु० साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या

(सम्बद्ध – डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या)

ARTICLE DETAILS

Research Paper

मुख्य बिंदु– ई–गवर्नेंस, सुशासन, डिजिटल युग, पारदर्शिता, तकनीकी नवाचार ।

सारांश

ई–गवर्नेंस (e-Governance), अर्थात इलेक्ट्रॉनिक शासन, आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। डिजिटल तकनीकों (डिजिटल प्रौद्योगिकियों) का उपयोग न केवल शासन को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बना रहा है, बल्कि नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक आसान पहुँच भी प्रदान कर रहा है। यह शोध पत्र डिजिटल युग में ई–गवर्नेंस की अवधारणा, इसके अवसरों तथा भारत में इसके कार्यान्वयन से संबंधित चुनौतियों का विश्लेषण करता है।

1. प्रस्तावना

ई–गवर्नेंस सुशासन (Good Governance) की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जो सरकार और नागरिकों के बीच संपर्क को डिजिटल माध्यम से सरल और प्रभावी बनाता है। सुशासन का अर्थ ऐसे शासन से है, जिसमें प्रशासन पारदर्शी, उत्तरदायी, प्रभावी, समावेशी और जनहितकारी हो। यह केवल सरकार की कार्यप्रणाली तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें नागरिकों की सहभागिता, नीति–निर्माण में पारदर्शिता, कानूनी ढांचे की मजबूती, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, सेवा वितरण की दक्षता और सामाजिक–आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करने की प्रक्रियाएँ शामिल होती हैं।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के अनुसार, सुशासन के आठ प्रमुख तत्व होते हैं – भागीदारी (Participation), कानून का शासन (Rule of Law), पारदर्शिता (Transparency), उत्तरदायित्व (Accountability), सहमति पर आधारित निर्णय–निर्माण (Consensus-Oriented Decision Making), समानता और समावेशन (Equity - Inclusiveness), प्रभावशीलता और दक्षता (Effectiveness & Efficiency),

तथा उत्तरदायी प्रशासन (Responsiveness)। इन तत्वों के माध्यम से एक देश अपने नागरिकों को एक स्थिर, न्यायसंगत और समावेशी समाज प्रदान कर सकता है।

विश्व बैंक के अनुसार, सुशासन का अर्थ सरकार की उन प्रक्रियाओं से है, जिनके द्वारा अधिकारिक निर्णय लिए जाते हैं, नीतियाँ बनाई जाती हैं और उन्हें क्रियान्वित किया जाता है। इसमें सार्वजनिक संसाधनों का न्यायसंगत वितरण, प्रशासनिक पारदर्शिता, और भ्रष्टाचार मुक्त प्रणाली को बढ़ावा देना शामिल है।

भारत में सुशासन की अवधारणा को संविधान के नीति निर्देशक तत्वों (Directive Principles of State Policy) से भी जोड़ा जाता है, जिसमें समाज के सभी वर्गों के कल्याण और सामाजिक न्याय पर बल दिया गया है। 1990 के दशक के बाद, जब वैश्वीकरण और उदारीकरण ने प्रशासन को अधिक उत्तरदायी और पारदर्शी बनाने की माँग बढ़ाई, तब भारत सरकार ने भी सुशासन को एक प्राथमिकता के रूप में अपनाया। इसके तहत डिजिटल इंडिया, ई–गवर्नेंस, नागरिक चार्टर, सूचना का अधिकार (RTI), लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, वंचित वर्गों के उत्थान के लिए योजनाएँ और न्यायिक सुधारों जैसी नीतियाँ लागू की गईं।

महात्मा गांधी के विचारों में भी सुशासन की परिकल्पना निहित थी, जहाँ उन्होंने ग्राम स्वराज और विकेन्द्रीकरण पर जोर दिया। डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने भी सुशासन को भारत के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कारक बताया और इसे प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और नागरिक सशक्तिकरण से जोड़ा।

इस प्रकार, सुशासन केवल प्रशासनिक दक्षता का ही नहीं, बल्कि जनहित, न्याय, समानता और विकास उन्मुख शासन प्रणाली का प्रतीक है। यह सुनिश्चित करता है कि शासन की सभी प्रक्रियाएँ नैतिकता, पारदर्शिता और जनकल्याण के सिद्धांतों पर आधारित हों, जिससे नागरिकों का विश्वास सरकार में बना रहे और देश का सतत विकास संभव हो सके।

भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया (Digital India) कार्यक्रम के तहत ई–गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएँ शुरू की हैं। हालाँकि, इसके क्रियान्वयन में कई चुनौतियाँ भी हैं, जैसे डिजिटल विभाजन (Digital Divide), साइबर सुरक्षा (Cyber Security), डेटा गोपनीयता (Data Privacy) और प्रौद्योगिकी साक्षरता (Technological Literacy) की कमी। इस शोध पत्र में ई–गवर्नेंस की सफलता, संभावनाओं और इसके सामने आने वाली बाधाओं पर चर्चा की गई है।

2. ई–गवर्नेंस की अवधारणा और महत्व

2.1 ई–गवर्नेंस क्या है?

ई–गवर्नेंस का अर्थ इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस या इलेक्ट्रॉनिक शासन से है, जिसमें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का उपयोग करके सरकारी सेवाओं, प्रक्रियाओं और नीतियों को अधिक कुशल, पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाता है। यह नागरिकों, व्यवसायों और सरकारी निकायों के बीच संचार और समन्वय को डिजिटल माध्यमों से सक्षम बनाता है।

विभिन्न विद्वानों और संस्थानों ने ई–गवर्नेंस की परिभाषा इस प्रकार दी है:

संयुक्त राष्ट्र (UN) के अनुसार, "ई–गवर्नेंस सरकार और नागरिकों के बीच सूचना के आदान–प्रदान को बेहतर बनाने, सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने और प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने की प्रक्रिया है।"

विश्व बैंक (वतसक ठंदा) के अनुसार, "ई–गवर्नेंस सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग को संदर्भित करता है, जिससे प्रशासन अधिक कुशल, पारदर्शी और उत्तरदायी बनता है।"

भारत सरकार की राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना (NeGP) के अनुसार, "ई–गवर्नेंस का उद्देश्य नागरिकों को सरकारी सेवाओं की आसान, प्रभावी और पारदर्शी पहुँच प्रदान करना है, जिससे प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है।"

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने ई–गवर्नेंस को "एक पारदर्शी स्मार्ट गवर्नेंस प्रणाली" के रूप में परिभाषित किया, जो नागरिकों को बेहतर और कुशल सेवाएँ प्रदान करने पर केंद्रित है।

गार्टनर (Gartner) के अनुसार, "ई–गवर्नेंस सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकारी कार्यप्रणालियों के डिजिटलीकरण की एक प्रक्रिया है, जो नागरिकों, व्यवसायों और सरकार के बीच परस्पर संवाद और सेवा वितरण को अधिक प्रभावी बनाती है।"

इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि ई–गवर्नेंस केवल डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक कुशल, पारदर्शी और जनोन्मुखी बनाने का एक साधन है।

ई–गवर्नेंस, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (Information and Communication Technology & ICT) का उपयोग करके प्रशासनिक सेवाओं को अधिक पारदर्शी, कुशल और नागरिक–केंद्रित बनाने की प्रक्रिया है। यह चार प्रमुख घटकों पर आधारित होता है:

सरकार से नागरिक: Government-to-Citizen (G2C) – नागरिकों को सरकारी सेवाएँ उपलब्ध कराना (उदाहरण: ई–सेवा (e-Seva), डिजीलॉकर (DigiLocker) आदि)।

सरकार से व्यवसाय: Government-to-Business (G2B) – व्यापारिक संगठनों को सरकारी सेवाएँ प्रदान करना (उदाहरण: GeM, MCA21 आदि)।

सरकार से सरकार: Government-to-Government (G2G) – विभिन्न सरकारी विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना (उदाहरण: ई–ऑफिस (e–Office), ई–न्यायालय (e–Courts) आदि)।

सरकार से कर्मचारी: Government–to–Employee (G2E) – सरकारी कर्मचारियों के लिए डिजिटल समाधान (उदाहरण: SPARROW, eHRMS आदि)।

2.2 ई–गवर्नेंस का महत्व

पारदर्शिता और उत्तरदायित्व: सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ती है, जिससे भ्रष्टाचार में कमी आती है।

समय और लागत में बचतः डिजिटल प्लेटफॉर्म से सेवाएँ ऑनलाइन उपलब्ध होती हैं, जिससे समय और संसाधनों की बचत होती है।

सुलभता और समावेशनः दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ मिलता है।

नीतिगत सुधारः डेटा विश्लेषण (Data Analytics) के माध्यम से सरकार अधिक प्रभावी नीतियाँ बना सकती है।

3. डिजिटल युग में ई–गवर्नेंस के अवसर

3.1 डिजिटल इंडिया पहल और ई–गवर्नेंस

भारत सरकार द्वारा 2015 में शुरू किया गया डिजिटल इंडिया (Digital India) कार्यक्रम ई–गवर्नेंस को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इसके तहत कई योजनाएँ लागू की गई हैं, जैसेः

यूनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन फॉर न्यू–एज गवर्नेंस (UMANG)– एकल मंच से विभिन्न सरकारी सेवाएँ प्रदान करना।

डिजिलॉकर (DigiLocker)– नागरिकों के लिए डिजिटल दस्तावेज़ों का सुरक्षित भंडारण।

ई–न्यायालय (e–Court) – न्यायिक प्रक्रिया को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना।

आधार आधारित सेवाएँ (Aadhar)– पहचान सत्यापन और सरकारी लाभों का डिजिटल हस्तांतरण।

3.2 कृत्रिम बुद्धिमत्ता और बिग डेटा का उपयोग

ई–गवर्नेंस में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence – AI) और बड़े आंकड़ों का विश्लेषण (Big Data Analytics) के उपयोग से नीतिगत निर्णयों को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence – AI) एक उन्नत तकनीक है, जो मशीनों को मनुष्यों की तरह सोचने, सीखने और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य कंप्यूटर और अन्य डिजिटल प्रणालियों को इस प्रकार विकसित करना है कि वे स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें और जटिल समस्याओं का समाधान कर सकें। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों पर आधारित होती है, जो इसे और अधिक सक्षम बनाती हैं।

आज के समय में एआई का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में हो रहा है, जैसे स्वास्थ्य सेवाओं में रोग निदान, शिक्षा में स्मार्ट लर्निंग सिस्टम, वित्तीय क्षेत्र में धोखाधड़ी की पहचान, और सुरक्षा में चेहरा पहचान तकनीक। सेल्फ–ड्राइविंग कारें, वर्चुअल असिस्टेंट (जैसे एलेक्सा और सिरी), और चैटबॉट्स भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के ही उदाहरण हैं। इसके विकास ने न केवल जीवन को सुविधाजनक बनाया है, बल्कि व्यावसायिक प्रक्रियाओं को भी अधिक कुशल और प्रभावी बनाया है।

हालांकि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते प्रभाव के साथ कुछ चुनौतियाँ भी उत्पन्न हो रही हैं। डेटा गोपनीयता, नैतिकता, और नौकरियों पर प्रभाव जैसी चिंताएँ महत्वपूर्ण हैं। स्वचालन के कारण कई क्षेत्रों में मानव श्रम की आवश्यकता कम

हो रही है, जिससे रोजगार पर असर पड़ सकता है। साथ ही, एआई से जुड़े सुरक्षा और नैतिकता संबंधी मुद्दे भी लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं।

भविष्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अधिक उन्नत होगी और इसका प्रभाव समाज के हर क्षेत्र में देखने को मिलेगा। यदि इसे सही दिशा में नियंत्रित और विकसित किया जाए, तो यह न केवल जीवन को सरल बनाएगी, बल्कि वैश्विक विकास और नवाचार को भी नई ऊँचाइयाँ प्रदान करेगी।

3.3 नागरिक भागीदारी में वृद्धि

ई–गवर्नेंस नागरिकों को नीति–निर्माण प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। माई गव (MyGov) पोर्टल के माध्यम से नागरिक सरकार को सुझाव दे सकते हैं और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदार बन सकते हैं।

3.4 वित्तीय समावेशन और डिजिटल भुगतान

ई–गवर्नेंस के तहत भारत बिल भुगतान प्रणाली (Bharat Bill Payment System & BBPS), यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (Unified Payments Interface & UPI) और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer & DBT) जैसी सेवाएँ आर्थिक समावेशन को बढ़ावा देती हैं।वित्तीय समावेशन का अर्थ उन सभी व्यक्तियों और व्यवसायों को औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुँच प्रदान करना है, जो पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली से वंचित रहे हैं। इसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से गरीब और वंचित समुदायों को, किफायती और सुविधाजनक वित्तीय सेवाएँ उपलब्ध कराना है, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें।

विश्व बैंक के अनुसार, वित्तीय समावेशन का तात्पर्य इस बात से है कि लोग और व्यवसाय अपनी जरूरत के अनुसार बैंकिंग सेवाओं, ऋण, बीमा, भुगतान प्रणाली और निवेश साधनों तक आसानी से पहुँच बना सकें, वह भी बिना किसी भेदभाव या अधिक लागत के। यह एक ऐसी प्रणाली को बढ़ावा देता है, जिसमें सभी के पास औपचारिक वित्तीय प्रणाली में भाग लेने का अवसर हो।

भारत में वित्तीय समावेशन की अवधारणा 2005 में आरबीआई द्वारा प्रमुख रूप से अपनाई गई और इसके बाद प्रधानमंत्री जन–धन योजना (PMJDY), डिजिटल भुगतान प्रणाली, माइक्रोफाइनेंस, लघु वित्त बैंक, मोबाइल बैंकिंग और आधार–आधारित वित्तीय सेवाओं के माध्यम से इसे व्यापक रूप से लागू किया गया। सरकार और आरबीआई द्वारा समय–समय पर वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए विभिन्न नीतियाँ लागू की गईं, जिनमें किसानों, महिला उद्यमियों और लघु उद्योगों को किफायती ऋण और बीमा सेवाएँ उपलब्ध कराना भी शामिल है।

वित्तीय समावेशन केवल बैंक खाता खोलने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना, डिजिटल भुगतान प्रणाली को मजबूत बनाना, सूक्ष्म–वित्त (Microfinance) और ऋण सेवाओं को सुलभ बनाना तथा आम नागरिकों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाना है। इसके माध्यम से गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन और आर्थिक असमानता को कम करने में सहायता मिलती है। जब समाज के सभी वर्गों को वित्तीय सेवाओं का लाभ मिलता है, तो यह समग्र आर्थिक विकास और सामाजिक स्थिरता को भी बढ़ावा देता है।

4. ई–गवर्नेंस की प्रमुख चुनौतियाँ

4.1 डिजिटल विभाजन और साक्षरता की कमी

ग्रामीण क्षेत्रों और वंचित वर्गों में डिजिटल साक्षरता (Digital Literacy) की कमी एक बड़ी बाधा है।

4.2 साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता

ई–गवर्नेंस में साइबर हमलों (Cyber Attacks) की संभावना बनी रहती है। उदाहरण के लिए, आधार डेटा लीक की घटनाओं ने डेटा सुरक्षा की चिंताओं को बढ़ाया है।

4.3 इंटरनेट और बुनियादी ढांचे की कमी

भारत के कई ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी तेज गति वाली इंटरनेट सेवाएँ (High-Speed Internet Services) उपलब्ध नहीं हैं।

4.4 नीति और नियामक ढांचे की जटिलता

ई–गवर्नेंस को प्रभावी बनाने के लिए स्पष्ट कानूनी और नीतिगत ढांचे की आवश्यकता है।

5. समाधान और आगे की दिशा

5.1 डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम

सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता अभियान चलाने चाहिए।

5.2 मजबूत साइबर सुरक्षा रणनीति

डेटा सुरक्षा के लिए साइबर सुरक्षा नीति (Cyber Security Policy 2022) जैसे कानूनों को प्रभावी रूप से लागू करना आवश्यक है।

5.3 डिजिटल बुनियादी ढांचे का विकास

दूरवर्ती क्षेत्रों में 5G नेटवर्क और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बढ़ाने से ई–गवर्नेंस को गति मिलेगी।

6. निष्कर्ष

डिजिटल युग में ई–गवर्नेंस सुशासन (Good Governance) का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। यदि डिजिटल विभाजन को समाप्त किया जाए, साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाया जाए और डिजिटल बुनियादी ढांचे को विकसित किया जाए, तो ई–गवर्नेंस भारत में प्रभावी प्रशासन (Effective Administration) को एक नई ऊँचाई पर ले जा सकता है।

संदर्भ सूची

1. शर्मा, आर. (2019). ई–गवर्नेंस और प्रशासनिक सुधार. भारतीय प्रशासनिक समीक्षा, 45(3), 112–130।
2. मिश्रा, पी. (2020). साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षणः भारतीय परिप्रेक्ष्य. दिल्लीः सागर पब्लिकेशन।

3. भारत सरकार। (2023). डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की वार्षिक रिपोर्ट. नई दिल्ली: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय।
4. पांडे, एस. (2022). भारत में सुशासन की अवधारणा और ई–गवर्नेंस का प्रभाव. प्रशासनिक दृष्टि, 27(2), 55–70।
5. विश्व बैंक। (2021). गवर्नेंस संकेतक और ई–गवर्नेंस का प्रभाव. वाशिंगटन डी.सी.: विश्व बैंक प्रकाशन।
6. सिंह, के. (2020). डिजिटल विभाजन और भारत में ई–गवर्नेंस की चुनौतियाँ. सामाजिक विज्ञान पत्रिका, 12(4), 78–95।
7. चतुर्वेदी, आर. (2021). सार्वजनिक प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग. प्रशासनिक अध्ययन पत्रिका, 19(3), 44–58।
8. भारत सरकार। (2022). राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2022. नई दिल्ली: गृह मंत्रालय।
9. तिवारी, एम. (2023). ई–गवर्नेंस और पारदर्शिता: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन. शोध पत्रिका, 8(1), 35–50।
10. भारत सरकार। (2023). डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन पर रिपोर्ट. नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय।
11. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)। (2022). सुशासन हेतु ई–गवर्नेंस: एक वैश्विक दृष्टिकोण. न्यूयॉर्क: संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम।
12. कश्यप, ए. (2020). भारत में स्मार्ट गवर्नेंस की अवधारणा. नई दिल्ली: भारत प्रकाशन।
13. भारत सरकार। (2021). डिजिटल साक्षरता मिशन की प्रगति रिपोर्ट. नई दिल्ली: मानव संसाधन विकास मंत्रालय।
14. सेन, डी. (2022). ई–गवर्नेंस और नागरिक भागीदारी. भारतीय प्रशासनिक शोध, 15(2), 89–104।
15. वर्मा, आर. (2023). ई–गवर्नेंस और ग्रामीण भारत में डिजिटल समावेशन. विकास अध्ययन पत्रिका, 10(3), 120–135।
16. भारत सरकार। (2022). डिजीलॉकर और डिजिटल पहचान पर रिपोर्ट. नई दिल्ली: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय।
17. भारतीय दूरसंचार संघ (आईटीयू)। (2021). वैश्विक ई–गवर्नेंस विकास सूचकांक. जेनेवा: भारतीय दूरसंचार संघ प्रकाशन।
18. राज्यसभा सचिवालय। (2022). भारत में ई–गवर्नेंस और डिजिटल प्रशासन पर संसदीय रिपोर्ट. नई दिल्ली: राज्यसभा प्रकाशन।
19. यूनिसेफ। (2021). डिजिटल समावेशन और बच्चों की सुरक्षा: ई–गवर्नेंस के माध्यम से समाधान. जिनेवा: यूनिसेफ प्रकाशन।
20. गोयल, एस. (2021). डिजिटल इंडिया और ई–गवर्नेंस: अवसर और चुनौतियाँ. नई दिल्ली: प्रभात प्रकाशन।